

रा.श./1085
24/4/19

M. J. J. J.

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

जयपुर, दिनांक

23 APR 2019

क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 1

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यंक आज्ञा दिनांक 28.01.2017 के द्वारा जिला सीकर में नामित किये गये पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की सूची में से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के प्रस्ताव के आधार पर समाप्त किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति/ ब्लॉक	ग्राम पंचायत	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधित नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सीकर	दातारामग	खाटूश्यामजी	रा.आ.उमावि खाटूश्यामजी	समाप्त	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 10(क)(ग्रामपंचायत)(गठन)/श्रेणी/स्वा. शा.वि/16/1444 दिनांक 11.5.2018 द्वारा ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को नगपालिका खाटूश्यामजी के रूप में घोषित किये जाने के कारण

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

निम्नांकित को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक राज. बीकानेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त संशोधित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड कराने का श्रम करावें।
- आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- जिला कलेक्टर,।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,।
- उपनिदेशक, प्राशि/माशि, बीकानेर।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माशि, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर।
- रक्षित पत्रावली।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव